न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 32 /23 दायरा दिनांक 11.10.2023

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–कन्हैयालाल पुत्र गज्जू उम्र 48 वर्ष जाति जाटव निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2–भागवती पुत्री गज्जू पत्नि जगदीश उम्र 39 वर्ष जाति जाटव निवासी बीची हाल निवासी धतूरीया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

3–कसूमल पुत्री गज्जू पत्नि कन्हैयालाल उम्र 35 वर्ष जाति जाटव निवासी बीची हाल निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

वादीगण

बनाम

1–उप वन संरक्षक, बारां जिला बारां राजस्थान

2–क्षेत्रिय वन अधिकारी केलवाडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. 1955

निर्णय दिनांक– 01.05.2025

उपस्थित – वादीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मझेरा पटवार क्षेत्र बीची तहसील शाहाबाद के खाता संख्या नया 3 पुराना 3 में वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 8/5 रकबा 10.00 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है, जिसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी वादीगण की पुश्तैनी होकर राजस्व खाते तथा कब्जे काश्त की है जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं, जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खाते तथा कब्जे काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को वन विभाग की भूमि बतलाकर वादीगण को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने को आमादा हैं और वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं, जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधनिक हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को वन भूमि बतलाते हुये तथा इस भूमि पर वादीगण को पश्चातवर्ती अतिकमी दर्शाते हुये प्रकरण संख्या 2538/22 दर्ज कर वादीगण को धारा 91 भूराजस्व अधिनियम अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिया है जिसकी आढ में वादीगण को पुश्तैनी कब्जे काश्त की उक्त विवादित खातेशुदा कृषि भूमि पर से बेदखल करने को आमादा हो रहे हैं तथा वादीगण को खुलेआम एलानियां धमकी दी है कि यदि वादीगण ने उक्त विवादित आराजी को हांकने फसल बोने अथवा काश्त करने का प्रयास किया तो वे वादीगण की फसल को नष्ट कर देंगे और वादीगण को जेल भेज देंगे प्रतिवादीगण की धमकी व कृत्य से वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:21 IST
Reason: SelfAttested

01.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां

CamScanner

पुश्तैनी खाते तथा कब्जे–काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है तथा काश्त नहीं करने देने से वादीगण परिवार के भूंखों मरने की नौबत आ गई है। इस कारण वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। दिनांक 10.07.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी को वन भूमि बतलाकर वादीगण के नाम 91 भूराजस्व अधिनियम अन्तर्गत नोटिस जारी करने पर तथा विवादित कृषि भूमि में काश्त नहीं करने की धमकी देने पर वाद कारण वमुकाम आराजी कमलावदा उत्पन्न हुआ है। विवादित आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद में राजस्थान राज्य के पक्षकार होने से प्रतिवादीगण के विधिक प्रतिनिधी श्रीमान जिला कलेक्टर बारां को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित कर दिया है, परन्तु उक्त वर्णित परिस्थिति अन्तर्गत वादीगण को अबिलम्व वाद पेश कर न्यायिक सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। यदि मियाद नोटिस गुजरने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण को अपने ही खाते की विवादित कृषि भूमि से बेदखल करने में कामयाब हो जावेंगे जिससे वादीगण परिवार भूंखों मरने की नौबत आ जावेगी और वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा, न्याय विफल होगा और वादीगण के वाद पेश करने का उद्वेश्य ही समाप्त हो जावेगा। इस कारण माननीय न्यायालय की अनुमति से धारा 80 (2) सी.पी.सी. पर वाद पेश है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 8/5 रकबा 10.00 बीघा ग्राम मझेरा पटवार क्षेत्र बीची तहसील शाहावाद से बेदखल नहीं करें। वादीगण के स्वतंत्र कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें और वादीगण को बिना किसी हस्तक्षेप के सदैव की भांति काश्त करने दें। अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान मुनासिब समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रथम सुनवाई दिनांक 02. 11.23 को प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित हुये और जबाव पेश करने हेतु अवसर चाहा, इसके बाद प्रतिवादीगण के लगातार अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय सुनवाई की गई। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अन्तर्गत पी.डब्लू 1 वादी कन्हैयालाल के बयान कराये तथा नकल जमाबंदी ग्राम मझेरा संवत 2074–77 खाता संख्या 7 को प्रदर्श 1, नक्शा को प्रदर्श 2ए, नोटिस धारा 80 सीपीसी को प्रदर्श 3 तथा डाकरसीद को प्रदर्श 4 के रूप में प्रदर्शित कराया। वादीगण की एकपक्षीय वहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 8/5 रकबा 10.00 बीघा ग्राम मझेरा तहसील शाहाबाद वादीगण के रिकार्डेड खातेदारी की हैं, जो राजस्व नक्शे में तरमीम है, जिसमें प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से तथा कोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

जबाव पेश नहीं होने से वाद में वर्णित तथ्यों के प्रतिकूल कोई कथन अथवा साक्ष्य नहीं हैं, जिससे वाद स्वयंसिद्व है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीकम 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख0नं0 8/5 रकबा 10.00 बीघा ग्राम मझेरा तहसील शाहावाद बावत वादीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करेंगे और वादीगण को निर्विघ्न काश्त करने दें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो।

01.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:21 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner